न्यायालय–अपरजिला एवं सत्र/विशेष न्यायाधीश,एस0सी0/एस0टी0 (पी0ए0) एक्ट, सिद्धार्थनगर।

उपस्थितः–त्रिभुवन नाथ ,एच0जे0एस0।

UPSD010019582026

Bail Application/795/2026

1–अभिषेक चन्द्र पुत्र रमेश चन्द्र त्रिपाठी,

2–सुमित तिवारी पुत्र विनोद

निवासी ग्राम–सेखुई, कृष्णानगर, नगर पंचायत उसका बाजार, थाना उसका बाजार, जनपद सिद्वार्थनगर

3–अजय कुमार रावत पुत्र विजय कुमार रावत,

साकिन देवरिया सिटी, मकान नं0–137/19 जनपद देवरिया।

————–प्रार्थीगण/अभियुक्तगण।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य ——————————विपक्षी/आपत्तिकर्ता ।

मु0अ0सं0————85/2026

अन्तर्गत धारा–191(2), 115(2), 352, 351(3), 121(1), 324(2), 308(3) बी0एन0एस0 व धारा–3(1)द, 3(1)ध, 3(2)(va) एस0सी0/एस0टी0 (पी0ए0) एक्ट।

थाना–उसका बाजार, जनपद सिद्वार्थनगर।

दिनॉकः–17–06–2026

आदेश

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अभिषेक चन्द्र, सुमित तिवारी व अजय कुमार रावत द्वारा मु0अ0सं0–85/2026, अन्तर्गत धारा–191(2), 115(2), 352, 351(3),121(1), 324(2), 308(3) बी0एन0एस0 व धारा–3(1)द, 3(1)ध, 3(2)(va) एस0सी0/एस0टी0 (पी0ए0) एक्ट, थाना–उसका बाजार, जनपद सिद्वार्थनगर में द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है और द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र के सन्दर्भ में अभियुक्त अभिषेक चन्द्र द्वारा स्वंय का शपथ पत्र भी दिया गया है।

मैने प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अभिषक चन्द्र, सुमित तिवारी व अजय कुमार रावत के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्क को सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थी अभिनव श्रीवास्तव, अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत उसका बाजार आज दिनॉक 23—05—2026 दिन शनिवार को अपने कार्यालय नियमित रूप से दैनिक कार्य कर रहा था। दिन के लगभग 1—20 बजे अभिषेक त्रिपाठी, अभिषेक तिवारी का ड्राइवर अजय कुमार यादव, सुमित त्रिपाठी एवं अन्य 05—06 लोगों के साथ गोल बनाकर कार्यालय में उसे जान से मारने के इरादे से आये और पहले कार्यालय में लगा सीसीटीवी कैमरा को छेड़छाड़ करके बन्द कर दिया गया। उसके बाद उससे कहने लगे कि जनगणना का काम बाद मे ंकरना पहले मुझको 15 वित का टेण्डर दो नहीं तो तुमको जान से मार दूॅगा। उसके द्वारा कोई उत्तर न दिये जाने पर गाल गलौज करते हुए प्रार्थी के साथ मारपीट करने लगे, इस दौरान कर्मचारियों के बीच बचाव के कारण उक्त अभिषेक त्रिपाठी एवं उनके सहयोगियों द्वारा कार्यालय के कर्मचारियों के साथ भी गाली गलौज करते हुये उसे जान से मारने के इरादे मे सफल नही हो सके और कार्यालय के कुछ पत्रावली को अपने साथ जबरदस्ती उठाकर लेकर चले गये। अतः अनुरोध है कि लोकप्राधिकारी के साथ मारपीट, जान से मारने की कोशिश, शासकीय कार्य मे बाधा डालने, अनुचित दबाव बनाकर सरकारी टेण्डर प्राप्ति का प्रयास, कार्यालय के उपकरणों को नुकसान पहुॅचाने, शासकीय पत्रावलियों को जबदस्ती ले जाने, भारत सरकार द्वारा चल रहे जनगणना कार्य में व्यवधान उपत्न्न करने, प्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारियों आशीष चौधरी, रोहित कुमार के साथ गाली गलौज एवं जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने हेतु अभिषेक त्रिपाठी, अभिषेक तिवारी का ड्राइवर अजय कुमार रावत, सुमित त्रिपाठी एवं अन्य के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं का अभियोजन पंजीकृत करते हुये उक्त अभियुक्तगण की हिरासत में लेने के साथ ही विधिक कार्यवाही करने का कष्ट करें, जिससे प्रार्थी को न्याय मिल सके।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अभिषेक चन्द्र, सुमित तिवारी व अजय कुमार रावत के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र लिपिकीय त्रुटिवश नॉट प्रेस कर दिया गया, अस्तु यह द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र श्रीमान् जी के समक्ष है। प्रार्थीगण द्वारा नगर पंचायत कार्यालय में जाकर कथित रूप से धमकी, मारपीट, सरकारी कार्य में

बाधा, टेण्डर की मॉग एवं जाति सूचक शब्दों का प्रयोग जैसा कोई अपराध नहीं किया गया है और न ही रंगदारी की मॉग किया गया है। वादी मुकदमा अनुसूचित जाति का व्यक्ति भी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाये गये रिपोर्ट प्रथम दृष्टया अत्यन्त सामान्य, अस्पष्ट विरोधाभासी एवं अविश्वसनीय है। वादी द्वारा किसी स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष, प्रत्यक्षदर्शी गवाह का उल्लेख नहीं किया गया है। सम्पूर्ण प्रथम सूचना रिपोर्ट केवल सामान्य आरोपों पर आधारित है जिनका कोई स्वतन्त्र समर्थन उपलब्ध नहीं है।कथित मारपीट के बावजूद किसी गम्भीर चोट, मेडिकल परीक्षण, चिकित्सीय रिपोर्ट अथवा जीवन के लिए खतरे जैसी परिस्थिति व प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। वास्तविकता यह है कि वादी पक्ष एवं उनसे जुड़े व्यक्तियों द्वारा पूर्व से ही प्रार्थीगण पर अनुचित दबाव बनाया जा रहा था तथा आर्थिक लाभ, पैसे की मॉग की जा रही थी। उक्त अनुचित मॉग पूरी न होने के कारण वर्तमान झूठा मुकदमा प्रतिषोधवश दर्ज कराया गया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम की धाराएं भी यांत्रिक एवं दुर्भावनापूर्ण तरीके से जोड़ी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथित जातिसूचक शब्दों का कोई विशिष्ट विवरण समय शब्दावली अथव स्वतन्त्र गवाह का स्पष्ट उल्लेख नहीं किय गया है केवल सामान्य आरोप लगाकर एस0सी0एस0टी0 एक्ट की कठोर धाराओं का प्रयोग किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहीं नहीं कहा गया है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को साशय अपमानित करने के नियत से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है और प्रार्थीगण ने किसी भी सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं किया है बल्कि सरकारी कार्य में अधिकारियों के द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने का प्रयास किया है, जिससे कुपित हेा करके अपने पदीय शक्तियों का प्रयोग करते हुये फर्जी एवं मनगढ़न्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थीगण को अपमानित करवाने के लिए लगे हुये हैं और पुलिस मुकामी प्रार्थीगण को सगर्मी से तलाश कर रही है। प्रार्थीगण मारा मारा भागा भागा फिर रहा है। पुलिस गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत के प्राविधानों के तहत प्रार्थीगण को अग्रिम जमानत प्रदान किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थीगण स्थानीय निवासी है उनके फरार होने अथवा न्याय से भागने की कोई सम्भावना नहीं है। प्रार्थीगण सम्मानित, प्रतिष्ठित एवं सामाजिक व्यक्ति हैं, गिरफ्तारी की दशा में उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा, स्वतन्त्रता एवं परिवार की अपूर्तिनीय क्षति पहुंचेगी तथा उन्हें

अनावश्यक मानसिक एवं सामाजिक उत्पीड़न का सामाना करना पड़ेगा। अभियोजन की सम्पूर्ण कहानी प्रथम दृष्टया अविश्वसनीय, अतिरंजित एवंद्वेषपूर्ण है तथा न्यायहित में प्रार्थीगण को अग्रिम जमानत प्रदान किया जाना आवपश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः प्रार्थीगण को अग्रिम जमानत पर रिहा करने की कृपा की जावे।

राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध करते हुऐ कथन किया गया कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा किया गया अपराध अजमानतीय व गम्भीर प्रकृति का है।अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाय।

प्रस्तुत मामले में घटना दिनॉक समय व स्थान पर प्रार्थीगण/अभियुक्त गण द्वारा वादी मुकदमा के कार्यालय में आकर उससे टेण्डर की मॉग करना, गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी दिया जाना, जबरदस्ती सरकारी कागजात उठाकर ले जाने, मारपीट किये जाने, शासकीय कार्य में बाधा पहुॅचाये जाने तथा अधीनस्थ कर्मचारियों आशीष चौधरी व रोहित कुमार के साथ गाली गलौज करने व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाना बताया जाता है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से माननीय उच्च न्यायालय हरियाणा द्वारा पारित विधि व्यवस्था **Vinod Bindal vs State of Haryana 0n 8 December , 2022** प्रस्तुत किया गया है जिसका सम्मान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि धारा–438 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत अधिकारक्षेत्र अग्रिम जमानत के लिये केवल असाधारण मामले में दिया जा सकता है। जहॉ प्रथम दृष्टया कोई अपराध सिद्व न हो। प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली पर ऐसाकोई साक्ष्य नहीं है जिससे कि प्रगट हो कि अभियुक्तगण के विरूद्व कोई प्रथम दृष्टया अपराध सिद्व न होता हो। इस प्रकार प्रस्तुत विधि व्यवस्था प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होता है। अभियुक्तगण द्वारा किया गया अपराध अजमानतीय व गम्भीर प्रकृति का है। प्रार्थीगण/अभियुक्तण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत किये गये सभी कार्य अधिनियम की धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत के लिये पात्र नहीं है।

मामले के सम्पूर्ण तथ्यों व परिस्थितियों एवं उपलब्ध साक्ष्य/सामग्री के साथ साथ अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थीगण के जमानत हेतु पर्याप्त आधार न पाते हुये, प्रार्थीगण का यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः जमानत प्रार्थना—पत्र संख्या—795/2026, मु0अ0स0—85/2026, अन्तर्गत धारा—धारा—191(2), 115(2), 352, 351(3),121(1), 324(2), 308(3) बी0एन0एस0 व धारा—3(1)द, 3(1)ध, 3(2)(va) एस0सी0/एस0टी0 (पी0ए0) एक्ट, थाना—उसका बाजार, जनपद सिद्वार्थनगर के मामले में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अभिषेक चन्द्र, सुमित तिवारी व अजय कुमार रावत का द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना—पत्र निरस्त किया जाता है ।

दिनॉकः—17.06.2026

(त्रिभुवन नाथ)
अपर जिला एवं सत्र/विशेष न्यायाधीश,
एस0सी0/एस0टी0(पी0ए0) एक्ट,
सिद्धार्थनगर।
J.O. Code UP-6450

Digitally signed by Tribhuwan Nath
Date: 2026.06.17 10:41:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court